FIVE RUPEES
FIVE RUPEES
FIVE RUPEES

137

समक्ष माननीय बोर्ड आफ रेवेन्यू मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 03 निगरानी

1/ मुश्ताक अहमद

2: इरफान

3/ अब्दुल रसूल

पुत्रगण बाबू खाँ निवासीगण विठ्ठल पुर

तहसील व जिला श्योपुर म0प्र0

----- निगरानीकर्ता

बनाम

मध्यप्रदेश शासन जरिए कलेक्टर श्योपुर

R-410-III/2003

श्री ... द्वारा आज दि. 10/3/03 को प्रस्तुत।

अवर सचिव राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर 10 MAR 2003

निगरानी आवेदन आधीन धारा म.प्र. भू.रा.संहिता व नाराजी आदेश दिनांक 27.11.2002 जो श्री वी.सी. रावत कमिश्नर चंबल संभाग मुरैना द्वारा प्र.क्र.75/ 2000-01 निगरानी में पारित किया ।

श्रीमानजी,

निगरानी निम्नलिखित तथ्य एवं आधारों पर प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :

1- यहकि, ग्राम जवाड तहसील व जिला श्योपुर में स्थित है। इस ग्राम की कृषि आराजी सर्वे नं. 227/ 1.463 पर निगरानीकर्ता पूर्व में दिए गए पट्टों के आधार पर काबिज होकर काश्त कर रहे है ।

2- यहकि, किसी रामचरण नामक व्यक्ति ने एकशिकायत माननीय कमिश्नर चंबल संभाग मुरैना को इस आशय भेजी कि कुछ लोग ग्राम ज्वाडा के निवासी नही है लेकिन फिर भी वे फर्जी पट्टे के आधार पर सरकारी दस्तावेजात में अमली जामा पहन चुके है। उल्लेखनीय है कि इस शिकायत में निगरानीकर्ताओं का नाम नहीं है। माननीय कमिश्नर महोदय ने शिकायत वास्ते जांच कलेक्टर श्योपुर की ओर भेजा पटवारी से जांच करवाई गई जांच प्रतिवेदन के आधार पर निगरानीकर्ताओं को बिना नोटिस दिए उनके पट्टे

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 410–तीन/03 जिला – श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-1-17	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 75/2000–01/निग0 में पारित आदेश दिनांक 27–11–02 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2– उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । अपर कलेक्टर के आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा 55 व्यक्तियों जिनमें आवेदक भी शामिल है, के पट्टे तहसीलदार द्वारा अवैधानिक तरीके से दिए जाने के कारण निरस्त करते हुए भूमि पूर्ववत शासकीय अंकित किए जाने के आदेश दिए गए हैं उनके आदेश की पुष्टि आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा की है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा मुख्य आधार यह लिया गया है कि स्वमेव निगरानी की कार्यवाही लंबे समय उपरांत की गई है जो विधिसम्मत नहीं है । इस संबंध में न्यायदृष्टांत 2007 आर0एन0 399 अवलोकनीय है इसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि – भू–राजस्व संहिता, 1959 म0प्र0 – धारा 50 –– स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण शक्तियां – भूमि का अवैध आवंटन – 10–15 वर्ष पश्चात भी अपास्त किया जा सकता है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए इस प्रकरण में अपर कलेक्टर एवं अधीनस्थ न्यायालय के जो आदेश हैं उनमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है जिस कारण उनमें हस्तक्षेप आवश्यक हो । उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है । पक्षकार सूचित हों । अभिलेख वापिस हो । सदस्य	